

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1152
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़क सुरक्षा और संपर्क

1152. श्री एस. जगतरक्षकन:

श्री थरानिवेथन एम. एस. :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के अरानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान , अब तक निर्मित और उन्नत की गई सड़कों की कुल संख्या कितनी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) तमिलनाडु में इस योजना के तहत कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है, तथा पिछले वित्तीय वर्ष में हुई प्रगति और जारी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना के कार्यान्वयन में , विशेष रूप से दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियाँ, तथा भावी वर्षों में पीएमजीएसवाई के क्षेत्र को और विस्तृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत तमिलनाडु में ग्रामीण सड़क संपर्क में सुधार करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) तमिलनाडु में पीएमजीएसवाई के तहत, ग्रामीण सड़क सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव सहित निर्मित सड़कों की गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित करने में आने वाली विशिष्ट चुनौतियाँ क्या हैं; और

(च) तमिलनाडु में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण को पूरा करने और उनके रखरखाव के लिए वित्तपोषण की बाधाओं को दूर करने के संबंध में कितना बजटीय आवंटन किया गया है और किन वित्तपोषण कार्यनीतियों को कार्यान्वित किया गया है; और

(छ) ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक संपर्क पहुंचाने और सड़कों की सुरक्षा में सुधार करने में, पीएमजीएसवाई के चरण-चार जैसे हालिया विकास का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत चल रहे विभिन्न कार्यलापों/कार्यक्रमों के तहत कुल 8,28,800 किलोमीटर सड़क लंबाई को मंजूरी दी गई है , जिसमें से 7,72,216 किलोमीटर सड़क की लंबाई पहले ही पूरी हो चुकी है और 39,075 किलोमीटर सड़क की लंबाई निर्माण के विभिन्न चरणों में है। पीएमजीएसवाई के तहत शुरुआत से लेकर 06.02.2025 तक कार्यलापों/कार्यक्रमों के अनुसार वास्तविक उपलब्धि की स्थिति नीचे दी गई है:

(सड़क लंबाई किमी में)

कार्यकलाप/कार्यक्रम का नाम	स्वीकृत	पूर्ण	शेष *
पीएमजीएसवाई-I	6,44,867	6,24,647	4,457
पीएमजीएसवाई-II	49,795	49,038	214
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	12,228	9,374	2,751
पीएमजीएसवाई III	1,21,910	89,157	31,653
कुल:	8,28,800	7,72,216	39,075

* शेष सड़क लंबाई स्वीकृत और पूरी की गई लंबाई के अंतर से कम है क्योंकि कुछ परियोजनाएं सड़क की लंबाई में कमी , संरेखण में परिवर्तन , अन्य एजेंसियों द्वारा आंशिक लंबाई के निर्माण आदि के कारण स्वीकृत लंबाई से कम लंबाई में पूरी हो गई थीं।

मंत्रालय में निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, उपलब्ध जिला-वार आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अब तक स्वीकृत और पूरी की गई सड़कों की कुल संख्या निम्नानुसार है

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत सड़कों की संख्या	पूर्ण सड़कों की संख्या
2019-20	0	19
2020-21	56	20
2021-22	39	48
2022-23	0	8
2023-24	100	34
कुल	195	129

(ख) तमिलनाडु राज्य ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 411.36 करोड़ रु की कुल जारी राशि के साथ 985 किमी की कुल लंबाई पूरी कर ली है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य द्वारा किया गया व्यय (राज्य अंश सहित) 777.78 करोड़ रुपए था।

‘ग्रामीण सड़कें’ राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़कों को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। पीएमजीएसवाई कार्यों को समय पर पूरा करने में राज्यों को बजटीय सहायता की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को विभिन्न क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों और अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों के माध्यम से पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

- i. राज्यों से कार्यान्वयन क्षमता और अनुबंध क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।
- ii. बोली दस्तावेज प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
- iii. क्षमता निर्माण के लिए क्षेत्र के इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है।
- iv. उस क्षेत्र के राज्यों के समूह के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर वास्तविक और वित्तीय मापदंडों की नियमित और संरचित समीक्षा की जाती है।

(ग) इस योजना को लागू करते समय , भूमि अधिग्रहण , वन मंजूरी , राज्यों की खराब अनुबंध क्षमता , निविदाओं के प्रति प्रतिक्रिया की कमी , कानून और व्यवस्था के मुद्दे , निधि जारी करने के लिए राज्यों की वित्तीय क्षमता , राज्यों/राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसियों (एसआरआरडीए) की निष्पादन क्षमता जैसी चुनौतियां आड़े आई , जिससे सामान्य रूप से योजना की समग्र प्रगति प्रभावित हुई। उत्तर-पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए , कुछ अतिरिक्त मुद्दे जैसे प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों , दुर्गम क्षेत्र , ऐसा मौसम जिसमें काम कम कर पाए आदि भी आड़े आए , जिसने चुनौतियों को बढ़ा दिया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 250+, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी

क्षेत्र) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाले पात्र 25,000 संपर्क रहित बस्तियों को नई संपर्कता प्रदान करने और नई संपर्कता वाली सड़कों पर पुलों के निर्माण/उन्नयन के लिए 62,500 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। इस योजना का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये होगा। पीएमजीएसवाई-V दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों को तैयार करते समय कार्यों को पूरा करने में राज्यों के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार किया गया है।

(घ) तमिलनाडु राज्य को पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत कुल 7,318 किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है , जिसमें से 5,832 किलोमीटर सड़क राज्य द्वारा पहले ही पूरी कर ली गई है। तमिलनाडु में पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत और पूरी की गई सड़क की लंबाई का विवरण निम्न प्रकार है:

(लंबाई किमी में)

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत लंबाई	पूर्ण लंबाई
2019-20	1,044	1,066
2020-21	2,151	871
2021-22	1,254	2,063
2022-23	0	847
2023-24	2,869	985
कुल	7,318	5,832

(ड) तमिलनाडु में पीएमजीएसवाई के तहत सड़क निर्माण के कुछ मामलों में पहाड़ी क्षेत्रों में ढालू भूमि के कारण वांछित गुणोत्तर प्राप्त करने , उपयुक्त अनुदैर्घ्य ढाल प्राप्त करने के लिए भूमि की उपलब्धता में बाधाएं आदि जैसी चुनौतियां रही हैं।

(च) पीएमजीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य को निधियों का आवंटन/जारी करना राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है , जो अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के पास उपलब्ध कार्यों, निष्पादन क्षमता और अप्रयुक्त शेष राशि पर निर्भर करता है। योजना के कार्यान्वयन के लिए निधि मंत्रालय द्वारा पूरे राज्य को जारी की जाती है। जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को आगे निधियां पीआईयू की उपयोग क्षमता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है।

पीएमजीएसवाई के तहत निधि जारी करने की निरंतर श्रृंखला है और ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए अपर्याप्त निधि के कारण स्वीकृत कार्य प्रभावित नहीं हुए हैं। तमिलनाडु राज्य को चालू वर्ष 2024-25 के दौरान 199.66 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य द्वारा किया गया व्यय (राज्य अंश सहित) 507 करोड़ रुपये है।

(छ) पीएमजीएसवाई चरण-IV संपर्क रहित बस्तियों, विशेष रूप से दूरदराज और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में हर मौसम में पहुंच प्रदान करके अंतिम छोर की संपर्कता को काफी बढ़ाएगा। कार्यान्वयन में सड़क निर्माण के लिए नई/हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग, परियोजना निगरानी, गुणवत्ता और रखरखाव आदि में सुधार के लिए आईटी उपकरणों का लाभ उठाने पर अधिक जोर दिया जाएगा।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित योजना और ईएमएआरजी यानी रखरखाव निगरानी सॉफ्टवेयर में 5 वर्ष के बाद के दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) मॉड्यूल के माध्यम से प्रौद्योगिकी के एकीकरण से निगरानी और रखरखाव को मजबूती मिली है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हुई है।
